न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपीलांट

छोगसिंह पुत्र भीमा, उम्र 86 वर्ष जाति राजपूत निवासी जोधावास, तहसील सांचौर जिला जालोर (राज.)

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. रगा पुत्र वदा जाति कलबी, निवासी जोधावास, तहसील सांचौर जिला जालोर।
2. व्यवस्थापक एस.बी.आई. शाखा देवडा, तहसील सांचौर, जिला जालोर।
3. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार सांचौर हाल चितलवाना।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री सिकन्दर अली सैयद , विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री ओमप्रकाश चौधरी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से
रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित।
सरकारी पैरोकार रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः 25.03.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी चितलवाना द्वारा बराजस्व मुकदमा संख्या 02/15 (पुराना प्रकरण संख्या 21/12) बअनवान छोगसिंह बनाम रगा वगैरा में पारित आदेश दिनांक 12.02.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। नियत तारीख पेशी पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 एवं उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता न्यायालय में पैरवी हेतु उपस्थित नहीं हुए, अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि 87 रकबा 4.07 हैक्टर मौजा जोधावास में स्थित ढाणी पर आवागमन हेतु रास्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रदान कराने की मांग की। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22.10.2013 द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिस पर हाजा न्यायालय द्वारा दोनो पक्षो को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय पारित किये जाने हेतु पत्रावली रिमांड की गई। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः बिना किसी तरह की शहादत लिये पुनः जैर अपील आदेश पारित किया है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत मौका रिर्पोट दिनांक 02.02.2013 द्वारा उस समय नक्शा के अनुसार A से B बिन्दु तक पुराना रास्ता होना तथा ओरडी (कमरा) नहीं बनाया जाना अंकित किया गया है एवं नायब तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जांच रिर्पोट दिनांक 18.03.2013 द्वारा खसरा संख्या 88 में रहवासीय मकान बने होना बताया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा संख्या 88 के खातेदार को पक्षकार न बनाने के तथ्य लिखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है किन्तु अपीलांट द्वारा खसरा संख्या 86 से रास्ता का अनुतोश चाहा है न कि खसरा संख्या 88 से। एवं खसरा संख्या 86 के खातेदार को पक्षकार भी बनाया है। अपीलांट को रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है एवं अपीलांट के खेत में आने जाने हेतु उक्त रास्ते के अलावा ओर कोई रास्ता मौजूद नहीं है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए बिना अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये जैर अपील आदेश पारित किया है जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर पत्रावली रिमांड की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपील के तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के खेत खसरा संख्या 86 में जिस स्थान से रास्ता चाहा है उक्त स्थान पर रेस्पोडेन्ट का पक्का मकान बना हुआ है। इसके अतिरिक्त अपीलांट के भाई के खेत खसरा संख्या 88 में से अपीलांट के खेत तक जाने का वैकल्पिक रास्ता मौजूद होना प्रमाणित हुआ है। अपीलांट को अपने भाई को पक्षकार बनाते हुए नये सिरे से खसरा संख्या 88 से रास्ते की मांग हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि 87 रकबा 4.07 हैक्टर मौजा जोधावास में स्थित ढाणी पर आवागमन हेतु रास्ता प्रदान कराने की मांग की। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22.10.2013 द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिस पर हाजा न्यायालय द्वारा दोनो पक्षो को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय पारित किये जाने हेतु पत्रावली रिमांड की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र खसरा संख्या 88 के खातेदार को पक्षकार न बनाने का हवाला देते हुए खारिज किया है

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

हाजा न्यायालय द्वारा पूर्व में अपने निर्णय दिनांक 30.12.2014 द्वारा अपीलांट को अपनी खातेदारी खेत में आने जाने हेतु नजदीक एवं सुविधाजनक रास्ते दिया जाना हेतु सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर निर्णय पारित किये जाने के आदेश प्रदान किया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश की पालना में अपीलांट को सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान किये बिना जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी चितलवाना द्वारा बराजस्व मुकदमा संख्या 02/15 (पुराना प्रकरण संख्या 21/12) बअनवान छोगसिंह बनाम रगा वगैरा में पारित आदेश दिनांक 12.02.2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के आज्ञापक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत आदेश पारित करें। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.03.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली